फैक्स/ई-मेल **शीर्ष प्राथमिकता/अति महत्वपूर्ण**

प्रेषक,

आयुक्त एवं सचिव,
राजस्व परिषद, उ0प्र0,
अनुभाग-4, लखनऊ।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

संख्याः 3324 /4-111/92 (मानचित्रालय) दिनांक-29 सितम्बर, 2020

विषय- नष्ट या जीर्ण-शीर्ण हो गये भू-मानचित्रों की प्रतिलिपियों की उपलब्धता के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में परिषदादेश 14561/4-(मानचित्रालय)-801/80 दिनांक 03-02-1992, परिषदादेश संख्या आर ई-2658/4-111/92 (मानचित्रालय) दिनांक 27-12-2013 व परिषदादेश संख्या आर 495/ए-86/स्टे0रि0/खरीफ/ 2014-15 दिनांक 27-07-2016 एवं परिषदादेश संख्या 1358/4-111/92(मानचित्रालय) दिनांक 08-03-2019 तथा परिषदादेश संख्या 7152/4-111/92 (मानचित्रालय) दिनांक 04-11-2019 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- आप अवगत हैं कि परिषदादेश दिनांक 04-11-2019 **(प्रति संलग्न)** द्वारा जिला मुख्यालयों के राजस्व अभिलेखागार में संग्रहीत भू-मानचित्रों में से जिन ग्रामों के भू-मानचित्र नष्ट अथवा इतने जीर्ण-शीर्ण हो गये हों कि उनमें अंकित गाटा संख्याएं तथा प्रदर्शित सीमा रेखाओं की सही जानकारी नहीं हो पाती हो और इस कारण जनता का तथा शासकीय कार्य रूक रहा हो, ऐसे भू-मानचित्रों की प्रतिलिपियॉं परिषद के मानचित्रालय में उपलब्ध भू-मानचित्रों से बनवाकर जनपद के राजस्व अभिलेखागार में संग्रहीत करने की विहित व्यवस्था के सम्बन्ध में पूर्व में निर्देशित किया गया है।

3- प्रश्नगत प्रकरण में अग्रेतर अनुरोध है कि परिषदादेश दिनांक 08.03.2019 के साथ संलग्न सूची में अंकित/जनपदवार रोस्टर के अनुसार सम्बन्धित जनपद के जिलाधिकारी उक्त परिषदादेश में वर्णित प्रारूप के परिप्रेक्ष्य में सूचनाएँ एवं जनपद/तहसील स्तर पर सम्बन्धित भू-मानचित्रों की अनुपलब्धता के सम्बन्ध में स्वः स्तर की जॉच आख्या अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराने के साथ ही ट्रेसिंग एवं पर्यवेक्षण तथा सत्यापन की कार्यवाही हेतु जनपद से आने वाले प्रतिनिधियों (अधिकारियों एवं कर्मचारियों) के फोटो एवं हस्ताक्षर प्रमाणित कर परिषद को उपलब्ध कराकर वांछित भू-मानचित्रों की प्रतिलिपियों की जनपद स्तर पर यथाशीघ्र उपलब्धता सुनिश्चित कराने का कष्ट करें साथ ही जिन ग्रामों के भू-मानचित्र परिषद एवं जिला अभिलेखागार दोनों में अनुपलब्ध हैं उन ग्रामों की सूची तहसील, परगना एवं तप्पावार बना ली जाय ताकि नीतिगत निर्णय लिया जा सके।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीया,

(रीना सिंह)
प्रभारी अधिकारी,
कृते आयुक्त एवं सचिव।

संख्या व दिनांक यथोक्त।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1-अपर मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन, राजस्व विभाग, लखनऊ।

2-समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0, को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उपरोक्तानुसार अधीनस्थ जनपदों को आवश्यक निर्देश निर्गत करने के साथ ही अपने स्तर से प्रभावी अनुश्रवण भी कराने का कष्ट करें।

3-चकबन्दी आयुक्त, उत्तर प्रदेश, सप्तम् तल, इन्दिरा भवन, लखनऊ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(रीना सिंह)
प्रभारी अधिकारी,
कृते आयुक्त एवं सचिव।

फैक्स/ई–मेल **शीर्ष प्राथमिकता/अति महत्वपूर्ण**

प्रेषक,

आयुक्त एवं सचिव,
राजस्व परिषद, उ0प्र0,
अनुभाग–4, लखनऊ।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

संख्याः 7152 /4–111/92 (मानचित्रालय) दिनांक-04 ~~अक्टूबर~~ 11, 2019

विषय– नष्ट या जीर्ण–शीर्ण हो गये भू–मानचित्रों की प्रतिलिपियों की उपलब्धता के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में परिषदादेश 14561/4–(मानचित्रालय)–801/80 दिनांक 03–02–1992, व परिषदादेश संख्या आर ई–2658/4–111/92 (मानचित्रालय) दिनांक 27–12–2013 एवं परिषदादेश संख्या आर 495/ए–86/स्टे0रि0/खरीफ/ 2014–15 दिनांक 27–07–2016 तथा परिषदादेश संख्या 1358/4–111/92(मानचित्रालय) दिनांक 08–03–2019 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2– आप अवगत हैं कि परिषदादेश दिनांक 08–03–2019 (प्रति संलग्न) द्वारा जिला मुख्यालयों के राजस्व अभिलेखागार में संग्रहीत भू–मानचित्रों में से जिन ग्रामों के भू–मानचित्र नष्ट अथवा इतने जीर्ण–शीर्ण हो गये हों कि उनमें अंकित गाटा संख्याएं तथा प्रदर्शित सीमा रेखाओं की सही जानकारी नहीं हो पाती हो और इस कारण जनता का तथा शासकीय कार्य रूक रहा हो, ऐसे भू–मानचित्रों की प्रतिलिपियॉ परिषद के मानचित्रालय में उपलब्ध भू–मानचित्रों से बनवाकर जनपद के राजस्व अभिलेखागार में संग्रहीत करने की विहित व्यवस्था के सम्बन्ध में पूर्व में निर्देशित किया गया है।

3– प्रश्नगत प्रकरण में अग्रेत्तर अनुरोध है कि परिषदादेश दिनांक 08.03.2019 के साथ संलग्न सूची में अंकित/जनपदवार रोस्टर के अनुसार सम्बन्धित जनपद के जिलाधिकारी उक्त परिषदादेश में वर्णित प्रारूप के परिप्रेक्ष्य में सूचनाऍ एवं जनपद/तहसील स्तर पर सम्बन्धित भू–मानचित्रों की अनुपलब्धता के सम्बन्ध में स्वः स्तर की जॉच आख्या अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराने के साथ ही ट्रेसिंग एवं पर्यवेक्षण तथा सत्यापन की कार्यवाही हेतु जनपद से आने वाले प्रतिनिधियों (अधिकारियों एवं कर्मचारियों) के फोटो एवं हस्ताक्षर प्रमाणित कर परिषद को उपलब्ध कराकर वांछित भू–मानचित्रों की प्रतिलिपियों की जनपद स्तर पर यथाशीघ्र उपलब्धता सुनिश्चित कराने का कष्ट करें साथ ही जिन ग्रामों के भू–मानचित्र परिषद एवं जिला अभिलेखागार दोनों में अनुपलब्ध हैं उन ग्रामों की सूची तहसील, परगना एवं तप्पावार बना ली जाय ताकि नीतिगत निर्णय लिया जा सके।

संलग्नक–यथोक्त।

भवदीया,

(रीना सिंह)
प्रभारी अधिकारी,
कृते आयुक्त एवं सचिव।

संख्या व दिनांक यथोक्त।

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1–प्रमुख सचिव, उ0प्र0 शासन, राजस्व विभाग, लखनऊ।

2–समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0, को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उपरोक्तानुसार अधीनस्थ जनपदों को आवश्यक निर्देश निर्गत करने के साथ ही अपने स्तर से प्रभावी अनुश्रवण भी कराने का कष्ट करें।

3–चकबन्दी आयुक्त, उत्तर प्रदेश, सप्तम तल, इन्दिरा भवन, लखनऊ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(रीना सिंह)
प्रभारी अधिकारी,
कृते आयुक्त एवं सचिव।

15.10.19 o/c

फैक्स/ई-मेल शीर्ष प्राथमिकता/अति महत्वपूर्ण

प्रेषक,

आयुक्त एवं सचिव,
राजस्व परिषद, उ0प्र0,
अनुभाग-4, लखनऊ।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

संख्याः 1358/4-111/92 (मानचित्रालय) दिनांक- 08-3-19 ~~दिसम्बर~~, 2018

विषय- नष्ट या जीर्ण-शीर्ण हो गये भू-मानचित्रों की प्रतिलिपियों की उपलब्धता के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में परिषदादेश 14561/4-(मानचित्रालय)-801/80 दिनांक 03-02-1992 एवं परिषदादेश आर ई-2658/4-111/92(मानचित्रालय) दिनांक 27-12-2013 तथा संख्या परिषदादेश आर 495/ए-86/स्टे0रि0/खरीफ/ 2014-15 दिनांक 27-07-2016 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

आप अवगत हैं कि परिषदादेश दिनांक 27-7-2016 द्वारा जिला मुख्यालयों के राजस्व अभिलेखागार में संग्रहीत भू-मानचित्रों में से जिन ग्रामों के भू-मानचित्र नष्ट अथवा इतने जीर्ण शीर्ण हो गये हो कि उनमें अंकित गाटा संख्याएं तथा प्रदर्शित सीमा रेखाओं की सही जानकारी नहीं हो पाती हो और इस कारण जनता का तथा शासकीय कार्य रूक रहा हो, ऐसे भू-मानचित्रों की प्रतिलिपियॉ परिषद के मानचित्रालय में उपलब्ध भू-मानचित्रों से बनवाकर जनपद के राजस्व अभिलेखागार में संग्रहीत करने की व्यवस्था के सम्बन्ध में निर्देशित किया गया था। ऐसे ग्रामों के भू-मानचित्र जो जनपद के राजस्व अभिलेखागार में उपलब्ध नहीं है किन्तु परिषद के मानचित्रालय में उपलब्ध हैं, की प्रतिलिपि ट्रेसर एवं ड्राफ्टमैन या ट्रेसिंग जानने वाले कर्मचारी को परिषद के अनुभाग-4 (मैप-अनुभाग) में भेजकर तैयार करा लें। इस प्रकार तैयार की गयी भू-मानचित्रों की प्रतिलिपियों की शुद्धता के सत्यापन की कार्यवाही जिले के किसी अधिकारी को करनी होगी।

प्रकरण में अग्रेतर अनुरोध है कि संलग्न सूची में अंकित जनपद रोस्टरवार, सम्बन्धित जनपद के जिलाधिकारी वांछित ग्रामों के भू-मानचित्रों के सम्बन्ध में निम्नवत प्रारूप पर सूचनायें अंकित कराते हुये ट्रेसिंग तथा पर्यवेक्षण एवं सत्यापन की कार्यवाही हेतु जनपद से आने वाले प्रतिनिधियों (अधिकारियों एवं कर्मचारियों) के फोटो एवं हस्ताक्षर प्रमाणित कर परिषद को उपलब्ध कराकर वांछित भू-मानचित्रों की प्रतिलिपियों की जनपद स्तर पर उपलब्धता सुनिश्चित कराने का कष्ट करें। जिन ग्रामों के भू-मानचित्र परिषद एवं जिला अभिलेखागार दोनों में अनुपलब्ध हैं उन ग्रामों की सूची तहसील, परगना एवं तप्पावार बना ली जाय ताकि नीतिगत निर्णय लिया जा सके।

क्रम संख्या	जनपद का नाम	तहसील	परगना	तप्पा	ग्राम का नाम	फसली वर्ष/सन्	भू-मानचित्र के जनपद में अनुपलब्धता का कारण जॉच आख्या सहित
1	2	3	4	5	6	7	8

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय,

(रजनीश गुप्ता)
आयुक्त एवं सचिव।

संख्या व दिनांक यथोक्त।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1-प्रमुख सचिव, उ0प्र0 शासन, राजस्व विभाग, लखनऊ।

O/C
11-12-19 11-12-19

2—समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0, को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उपरोक्तानुसार अधीनस्थ जनपदों को आवश्यक निर्देश निर्गत करने के साथ ही अपने स्तर से प्रभावी अनुश्रवण भी कराने का कष्ट करें।

3—चकबन्दी आयुक्त, उत्तर प्रदेश, सप्तम तल, इन्दिरा भवन, लखनऊ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(कुमार विनीत)
स्टाफ आफिसर (मा0 अध्यक्ष)।

11.12.18 O/C

जनपदवार रोस्टर

क्रम संख्या	जनपद का नाम	प्रत्येक माह के
1	आगरा	प्रथम सोमवार
2	फिरोजाबाद	प्रथम सोमवार
3	मैनपुरी	प्रथम सोमवार
4	मथुरा	प्रथम सोमवार
5	प्रयागराज	प्रथम मंगलवार
6	कौशाम्बी	प्रथम मंगलवार
7	फतेहपुर	प्रथम मंगलवार
8	प्रतापगढ	प्रथम मंगलवार
9	कानुपर देहात	प्रथम बुद्धवार
10	कानपुर नगर	प्रथम बुद्धवार
11	इटावा	प्रथम बुद्धवार
12	औरैया	प्रथम बुद्धवार
13	फर्रुखाबाद	प्रथम बृहस्पतिवार
14	कन्नौज	प्रथम बृहस्पतिवार
15	फैजाबाद	प्रथम बृहस्पतिवार
16	अम्बेडकर नगर	प्रथम बृहस्पतिवार
17	बाराबंकी	प्रथम शुक्रवार
18	सुल्तानपुर	प्रथम शुक्रवार
19	अमेठी	प्रथम शुक्रवार
20	गोरखपुर	प्रथम शुक्रवार
21	देवरिया	द्वितीय सोमवार
22	महाराजगंज	द्वितीय सोमवार
23	कुशीनगर	द्वितीय सोमवार
24	झांसी	द्वितीय सोमवार
25	जालौन	द्वितीय मंगलवार
26	ललितपुर	द्वितीय मंगलवार
27	बांदा	द्वितीय मंगलवार
28	चित्रकूट	द्वितीय मंगलवार
29	हमीरपुर	द्वितीय बुद्धवार
30	महोबा	द्वितीय बुद्धवार
31	गोण्डा	द्वितीय बुद्धवार
32	बहराइच	द्वितीय बुद्धवार
33	बलरामपुर	द्वितीय बृहस्पतिवार
34	श्रावस्ती	द्वितीय बृहस्पतिवार
35	सहारनपुर	द्वितीय बृहस्पतिवार
36	मुजफ्फरनगर	द्वितीय बृहस्पतिवार
37	शामली	द्वितीय शुक्रवार
38	लखनऊ	द्वितीय शुक्रवार
39	हरदोई	द्वितीय शुक्रवार
40	खीरी	द्वितीय शुक्रवार

11.12.18

O/C

41	रायबरेली	तृतीय सोमवार
42	सीतापुर	तृतीय सोमवार
43	उन्नाव	तृतीय सोमवार
44	मेरठ	तृतीय सोमवार
45	गौतमबुद्ध नगर	तृतीय मंगलवार
46	बागपत	तृतीय मंगलवार
47	बुलन्दशहर	तृतीय मंगलवार
48	गाजियाबाद	तृतीय मंगलवार
49	हापुड	तृतीय बुद्धवार
50	बरेली	तृतीय बुद्धवार
51	बदायूँ	तृतीय बुद्धवार
52	पीलीभीत	तृतीय बुद्धवार
53	शाहजहाँपुर	तृतीय बृहस्पतिवार
54	मुरादाबाद	तृतीय बृहस्पतिवार
55	अमरोहा	तृतीय बृहस्पतिवार
56	रामपुर	तृतीय बृहस्पतिवार
57	बिजनौर	तृतीय शुक्रवार
58	संभल	तृतीय शुक्रवार
59	वाराणसी	तृतीय शुक्रवार
60	चन्दौली	तृतीय शुक्रवार
61	जौनपुर	चतुर्थ सोमवार
62	गाजीपुर	चतुर्थ सोमवार
63	आजमगढ	चतुर्थ सोमवार
64	बलिया	चतुर्थ सोमवार
65	मऊ	चतुर्थ मंगलवार
66	मिर्जापुर	चतुर्थ मंगलवार
67	भदोही	चतुर्थ मंगलवार
68	सोनभद्र	चतुर्थ मंगलवार
69	बस्ती	चतुर्थ बुद्धवार
70	संत कबीर नगर	चतुर्थ बुद्धवार
71	सिद्धार्थ नगर	चतुर्थ बुद्धवार
72	अलीगढ	चतुर्थ बुद्धवार
73	हाथरस	चतुर्थ बृहस्पतिवार
74	कासगंज	चतुर्थ बृहस्पतिवार
75	एटा	चतुर्थ बृहस्पतिवार

(कुमार विनीत)
स्टाफ आफिसर (मा0 अध्यक्ष)।